दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, बुधवार 22 सितंबर 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 353

महत्वपूर्ण एवं खास

सेना का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, घायल पायलट और को-पायलट ने तोडा दम

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले में मंगलवार को पटनीटॉप हिल्स में एक सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ऊधमपुर जिला उपायुक्त इंदु कंवल चिब ने कहा, प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग हुई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद तेज आवाज आई थी और पूरे इलाके में धुंआ फैल गया। इस हादसे में घायल पायलट और को-पायलट ने दम तोड़ दिया है। यह घटना पटनीटॉप के शिवगढ़ धार की है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह सेना का हेलीकॉप्टर है। पुलिस और सेना ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस और सेना की टीम को शिवगढ़ धार की ओर रवाना कर दिया गया। इस बीच ऊधमपुर-रियासी पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) सुलेमान चौधरी ने कहा कि हेलीकॉप्टर के दुर्घटना के बारे में सूचना मिली है और टीमों को मौके पर भेजा गया है। डीआईजी ने कहा, क्षेत्र में अधिक कोहरे के कारण अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि दुर्घटना हुई थी या हेलीकॉप्टर उतरते समय गिरा है।

अमेरिका में कोरोना से मौतों का आंकड़ा पौने सात लाख से पार

वाशिंगटन। अमेरिका में कोरोना वायरस (कोविड-19) से मौतों की संख्या पौने सात लाख से पार हो गयी है और इसी के साथ 1918 में फ्लू महामारी से हुई मौतों के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है। जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या छह लाख 75 हजार 446 हो गयी। इससे पहले 1918-19 में फ्लू महामारी के कारण करीब 6.75 लाख लोगों की जानें गई। विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं का अनुमान है कि आगामी सर्दियों के दौरान कोरोना से करीब एक लाख और लोगों की जान जा सकती है।

अफगान शरणार्थियों को खसरे के टीके के 21 दिन बाद मिल सकेगा अमेरिका में प्रवेश

वाशिंगटन। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने अफगान शरणार्थियों को खसरे का टीकाकरण के 21 दिन बाद देश में प्रवेश की अनुमति देने के लिए बिडेन प्रशासन से सिफारिश की है। अब तक विदेशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रहने वाले करीब 60 प्रतिशत अफगान नागरिकों को खसरा का टीका लगाया गया है। वहीं खसरे के संपर्क में आने के बाद 127 प्रवासियों को न्यू मैक्सिको में होलोमन एयर फ़ोर्स बेस पर क्वारंटीन पर रखा गया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी के मुताबिक अमेरिका और विदेशों में सभी सैन्य स्थलों पर अफगान शरणार्थियों के खसरे से पीड़ित होने के अब तक सात मामलों की पुष्टि हुई है। गत 10 सितम्बर को ऐसे चार मामले सामने आने के बाद अमेरिका ने अफगान शरणार्थियों को लेकर आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है।

तेरह उच्च न्यायालयों को मिलेंगे नए मुख्य न्यायाधीश

» कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी नामों की सिफारिश

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश के 13 उच्च न्यायालयों को नए मुख्य न्यायाधीश मिलेंगे क्योंकि प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने केंद्र को पदोन्नति के लिए आठ नामों की सिफारिश भेजी है, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल शामिल हैं। कॉलेजियम ने पांच मुख्य न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने की सिफारिश भी की है।

केंद्र कॉलेजियम की सिफारिशों को स्वीकार कर लेता है तो न्यायमूर्ति बिंदल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। उनके अतिरिक्त सात अन्य न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश बनाने की भी सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी वक्तव्य में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की 16 सितंबर 2021 को हुई बैठक में न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश पद पर पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है।

कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति बिंदल के अलावा न्यायमूर्ति रंजीत वी मोरे, सतीश चंद्र शर्मा, प्रकाश श्रीवास्तव, आर वी मलीमथ, रितु राज अवस्थी, अरविंद कुमार और प्रशांत कुमार मिश्रा के नामों की सिफारिश क्रमशः मेघालय, तेलंगाना, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में की है। वेबसाइट पर अपलोड एक अन्य वक्तव्य के अनुसार अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करने के लिए पांच मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सूची भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके मुताबिक कॉलेजियम ने यह भी सिफारिश की है कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए ए कुरैशी को राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती को त्रिपुरा उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने, मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमद्दर को सिक्किम उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के अलावा कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए के गोस्वामी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर डाले गए तीसरे वक्तव्य में कहा गया है कि कॉलेजियम ने 16 सितंबर को हुई बैठक में उच्च न्यायालयों के 17 न्यायाधीशों के तबादलेपु की सिफारिश की है। देश में मौजूद 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के कुल 1080 पद हैं जिनमें से एक मई, 2021 तक तक 420 पद रिक्त थे।

एनजीटी ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना

नई दिल्ली (आरएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने तीर्थयात्री के नदी में नगरपालिका के कचरे के निर्वहन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश का पालन करने में विफल रहने के लिए महाराष्ट्र सरकार पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक यंबकेश्वर को रखें।

एनजीटी ने अगली सुनवाई में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को भी उपस्थित रहने को कहा है। ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार को नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नदी के पानी की गुणवत्ता के पुनर्वास के लिए जिला मजिस्ट्रेट को अंतरिम मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया है।

एनजीटी की प्रधान पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल ने 16 सितंबर को कहा था कि त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद नगरपालिका के कचरे को एक छोटी सहायक नदी त्र्यंबकेश्वर नदी में जाने से रोकने में विफल रही है, जो सभी प्रदूषकों को गोदावरी नदी में जोड़ती है और थोड़ी दूरी पर छोड़ती है। ट्रिब्यूनल ने यह भी बताया कि पिछले दो वर्षों में एनजीटी द्वारा कम से कम चार आदेशों के बावजूद नगर निगम के कचरे को नदी में छोड़ने से रोकने में नागरिक प्राधिकरण विफल रहा है।

न्यायमूर्ति गोयल ने कहा, महाराष्ट्र के अधिकारियों का रुख दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति संवेदनशीलता की कमी और सुप्रीम कोर्ट और इस ट्रिब्यूनल के बाध्यकारी कानून और व्यवस्था के प्रति सम्मान को दशार्ता है। कानून का लगातार उल्लंघन, जिसके परिणामस्वरूप नागरिकों के अधिकार से वंचित होना पड़ता है। स्वच्छ पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान की संभावना संविधान के तहत गारंटीकृत कानूनों के नियम के खिलाफ है।

श्रीनगर में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, हवाई अड्डे के समीप शक्तिशाली विस्फोटक बरामद

श्रीनगर (आरएनएस)। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में श्रीनगर हवाई अड्डे के समीप हुमहामा इलाके में मंगलवार को उस समय बड़ी दुर्घटना टल गई जब सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों द्वारा सड़क पर रखे गये शक्तिशाली विस्फोटक बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि देर रात करीब 01.00 बजे नियमित गश्त के दौरान सुरक्षा बलों को हवाईअड्डे के उच्च सुरक्षा वाले गोगू-गली इलाके में सड़क पर एक थैला पड़ा मिला। इसके बाद इलाके को सील कर बम निरोधक दस्ते को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने थैले में रखा करीब छह किलोग्राम वजन विस्फोटक को निकाला और बिना किसी नुकसान के उसे निष्क्रिय कर दिया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके से सीसीटीवी फुटेज एकत्र कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। घटना के कारण हवाई यातायात पर असर नहीं पड़ा और आज सुबह हवाई अड्डे पर उड़ानें सामान्य रूप से संचालित हुई।

पाकिस्तानी प्रवासियों के लिए बिजली कनेक्शन की याचिका हुई दायर

» दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने पाकिस्तान से आए करीब 800 हिंदू प्रवासियों और पिछले कुछ सालों से यहां रह रहे लोगों के लिए बिजली कनेक्शन की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र, दिल्ली सरकार और टाटा पावर से जवाब मांगा।

चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, दिल्ली सरकार, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग, टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड और उत्तरी दिल्ली के जिलाधिकारी से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। हाईकोर्ट ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 22 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया है। याचिका में 200 हिंदू अल्पसंख्यक प्रवासी परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन की मांग की गई है, जिसमें लगभग 800 लोग शामिल हैं, जो वर्तमान में उत्तरी दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में दिल्ली जल बोर्ड मैदान में रह रहे हैं। भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक प्रवासियों के कल्याण के लिए काम करने वाले याचिकाकर्ता हरिओम ने कहा कि इस मामले में प्रवासी पाकिस्तान से हैं, ज्यादातर सिंध प्रांत से हैं और पिछले कुछ सालों से यहां बिना बिजली के रह रहे हैं। प्रवासी जो अपने धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनका मानना था कि भारत आने से उनके बच्चों को एक उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य मिलेगा, लेकिन झुग्गी में बिजली के बिना उनके वर्तमान अस्तित्व ने उनके सार्थक अस्तित्व के सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया है।

वकील समीक्षा मित्तल, आकाश वाजपेयी और आयुष सक्सेना के माध्यम से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान जब सभी स्कूल ऑनलाइन हो गए हैं, झुग्गियों में बिजली नहीं होने से उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।

एफएसएसएआई की खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में गुजरात, केरल, तमिलनाडु शीर्ष पर

नई दिल्ली (आरएनएस)। गुजरात, केरल और तमिलनाडु 2020-21 में खाद्य सुरक्षा मानकों के मामले में शीर्ष पर रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई)की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इसमें राज्यों को पांच मानदंडों ....खाद्य सुरक्षा, मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़ों, अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के अलावा उपभोक्ता सशक्तीकरण के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इस रैंकिंग में बड़े राज्यों में गुजरात, केरल और तमिलनाडु शीर्ष पर रहे हैं। वहीं छोटे राज्यों की बात की जाए, तो गोवा पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद मेघालय और मणिपुर का स्थान रहा है। संघ शासित प्रदेशों में जम्मू-कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा दिल्ली शीर्ष तीन स्थानों पर रहे हैं।

एफएसएसएआई द्वारा जारी किया गया यह तीसरा सूचकांक है। केंद्रीय मंत्री ने नियामकीय निकाय के गठन के 15 साल पूरे होने के मौके पर इसे जारी किया। मंडाविया ने एफएसएसएआई द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ''हमें अपने नागरिकों को उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला खाद्य उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। हम खराब गुणवत्ता की खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन यह पूर्ण समाधान नहीं है। इस दिशा में काफी कुछ करने की जरूरत है। कई और कदम उठाने की जरूरत है। आगामी दिनों में हमें अपने नागरिकों को स्वस्थ बनाने के लिए काम करना है।''

खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के अनुसार, बड़े राज्यों में ओडिशा और हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग में सतत सुधार हुआ है। ओडिशा की रैंकिंग सुधरकर चार हो गई है, जो 2018-19 में 13 थी।

इसी तरह हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग 10 से सुधरकर छह पर आ गई है। छोटे राज्यों में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की रैंकिंग में सतत सुधार हुआ है। एफएसएसएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण सिंघल ने इस अवसर पर कहा कि प्राधिकरण खाद्य वस्तुओं में औद्योगिक ट्रांस फैट (वसा)को समाप्त करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहा है।

सिंघल ने कहा कि पिछले दस साल से एफएसएसएआई इस पर काम कर रहा है। उस समय ट्रांसफैट की सीमा 10 प्रतिशत तय की गई थी। उद्योग ने स्वैच्छिक आधार पर इसे घटाने की प्रतिबद्धता जताई थी। बाद में ट्रांसफैट की सीमा को घटाकर पांच प्रतिशत और फिर तीन प्रतिशत किया गया। जनवरी, 2022 से यह सीमा दो प्रतिशत की होगी। कुपोषण पर उन्होंने कहा कि नियामक शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा खाद्य मंत्रालय के साथ 'फोर्टिफाइड फूड' के क्षेत्र में काम कर रहा है।

दिल्ली एम्स में ब्लड टेस्ट का समय साढ़े 5 घंटे बढ़ा

» 500 रुपये तक की जांच मुफ्त करने की सिफारिश

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अस्पताल ने स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद मरीजों को किसी भी तरह की ब्लड टेस्ट के लिए सैम्पल देने का समय साढ़े 5 घंटे तक बढ़ा दिया है।

सूत्रों के अनुसार एम्स में अब मरीज सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से शाम को साढ़े 3 बजे तक जांच के लिए अपने ब्लड का सैम्पल दे सकते हैं। इससे पहले सिर्फ सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ही ओपीडी के मरीजों की जांच के लिए सैम्पल लिए जाते थे। हालांकि, अभी शनिवार को सुबह 8 से 10 बजकर 30 मिनट तक ही सैम्पल लिए जाएंगे। एम्स को कई अन्य सुविधाएं भी जल्द मिलने वाली हैं। अस्पताल ओपीडी के मरीजों के लिए रेडियोलॉजी जांच कराने का समय भी बढ़ाने जा रहा है। अस्पताल की एक समिति की सिफारिशों के बाद अस्पताल में ओपीडी के मरीजों के लिए एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन जैसी रेडियोलॉजी की जांच सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की जा सकेंगी।

महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच के लिए एसआईटी का हुआ गठन

» सुसाइड नोट में बलबीर गिरी का भी नाम

प्रयागराज (आरएनएस)। अखिल भारतीय अखाड़ परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। जिसकी अगुवाई सीओ अजीत सिंह चौहान करेंगे। इस एसआईटी में कुल 18 सदस्य होंगे, जो मामले को अच्छी तरह से खंगालेंगे।

उलझ रही है मौत की मिस्ट्री- शुरुआती जानकारी के आधार पर पुलिस ने आत्महत्या का मामला बताया लेकिन मौत के कारणों को जानने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया था कि महंत नरेंद्र गिरी को उनके अनुयायिओं ने दरवाजा तोड़कर फंदे से उतारा। मौके पर एक कथित सुसाइड नोट मिला है, जिसमें महंत के अपने शिष्य आनंद गिरि की प्रताड़ना से परेशान होने की बात कही गई है। आपको बता दें कि इस सुसाइड नोट में बलबीर गिरी का नाम भी लिखा हुआ है।

8 पेज का सुसाइड नोट आया सामने - सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। कथित सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी मौत की जिम्मेदारी आनंद गिरी, अद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं। मेरे आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्यवाही की जाए, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले।

ब्रिटेन के भेदभावपूर्ण रवैये पर भारत लेगा जवाबी ऐक्शन

» कोविशील्ड को मान्यता न देने पर भी चेताया

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार का कहना है कि ब्रिटेन ने कोरोना वैक्सीन कोविशीलड को मान्यता नहीं देकर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। साथ ही यह भी कहा कि अगर इसका कोई समाधान नहीं निकाला जाता है तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी।

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज कहा कि यूके सरकार का कोविशील्ड को मान्यता नहीं देने का निर्णय भेदभावपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि यह भारत के पारस्परिक उपाय करने के अधिकार के भीतर आता है। उन्होंने आगे कहा, कोविशील्ड की गैर-मान्यता एक भेदभावपूर्ण नीति है और यूके की यात्रा करने वाले हमारे नागरिकों को प्रभावित करती है। विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के नए विदेश सचिव के समक्ष इस मुद्दे को मजबूती से उठाया है। मुझे बताया गया है कि कुछ आश्वासन दिए गए हैं कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा।

ब्रिटेन ने बदले हैं यात्रा नियम- आपको बता दें कि ब्रिटेन ने अपने कोविड-19 यातायात नियमों में बदलाव किए हैं लेकिन इसके साथ ही एक नए विवाद को जन्म भी दे दिया है। ब्रिटेन पर आरोप लग रहे हैं कि वह भारत के साथ भेदभाव कर रहा है। ब्रिटेन सरकार पर अब भारत से आने वाले यात्रियों के लिए तय नियमों समीक्षा करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन ने नए नियमों के तहत कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों को टीका लिया हुआ नहीं माना जाएगा, जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पाए लोगों को मान्यता दी गई है।

भारत की अधिकांश आबादी को कोविशील्ड- भारत में अधिकांश लोगों को कोविशील्ड टीका ही लगा है। यह ब्रिटेन के एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ही भारतीय वर्जन है। इसे भारत में सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, इसके बावजूद भारत को सूची से बाहर रखा गया है। ब्रिटेन में नेशनल इंडियन स्टूडेंट एंड एलुमनाई यूनियन (एआईएसएयू) की अध्यक्ष सनम अरोड़ा ने कहा, भारतीय छात्र इस बात से परेशान हैं कि उन्हें लगता है कि यह एक भेदभावपूर्ण कदम है क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ के उनके समकक्षों की तुलना में उनके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है।